बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग २-कार्यवाही—प्रश्नोत्तर रहित)

बृहस्पतिवार तिथि १८ दिसम्बर १९७५

विषय सूची पृष्ठ

ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकारी वक्तव्य :

राज्य में चीनी उद्योग को बचाना १—१०

अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण :

(क) पूर्णिया जिला के बहादूरगंज थाना के इन्सपेक्टर और जामादार द्वारा डुवाडांगी गाँव में अनुमाषिक अत्याचार करने से व्याप्त आतंक ११—१२

(ख) श्री इन्द्रदेव उरांव, आदिवासी कार्यकर्त्ता को पूर्णियाँ जिला के भरगांवा प्रखण्ड कार्यालय से लौटते समय मारा जाना तथा भरगामा थाना के प्रभारी द्वारा घटना की जानकारी नहीं दर्ज किया जाना १२—१३

राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की सिनेट के सदस्यता के निर्वाचन संबंधी सूचना —१३

लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन १३—१४

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन —१४

विधान कार्य : सरकारी विधेयक :

संथाल परगना काश्तकारी (अनुपूरक उपबंध) संशोधन विधेयक, १९७५ (१९७५ की वि० स० १२) (स्वीकृत) १४—२१

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति का चरण समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। —२२

बिहार विधान-परिषद् से प्राप्त संदेश २२—२४

बिहार विधान-परिषद् में उद्भूत तथा उसके द्वारा यथा पारित छोटानागपुर एवं संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, १९७५। २४—३६

अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण तथा उसपर सरकारी वक्तव्य :

पटना सहकारिता अरबन बैंक के अध्यक्ष एवं मंत्री द्वारा लाखों रुपये के किये गये गबन ३६—४१

दैनिक निबंध ४३—४७

टिप्पणी—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधन नहीं किया है उनके नाम के आगे (*) चिन्ह लगा दिया गया है।

बिहार विधान-सभा वाद्वृत

बृहस्पतिवार, तिथि १८ दिसम्बर १९७५।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा-सदन में बृहस्पतिवार तिथि १८ दिसम्बर १९७५ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष, श्री हरिनाथ मिश्र के सभापतित्व में प्रारंभ हुआ।

ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकारी वक्तव्य :
राज्य में चीनी उद्योग को बचाना।

अध्यक्ष—क्रम संख्या ३ से संबंधित श्री जनार्दन तिवारी की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकारी वक्तव्य को ४ बजे तक के लिये स्थगित किया। क्रम संख्या ४ से संबंधित श्री चतुरानन मिश्र की ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (ईख विभाग) की ओर से वक्तव्य देना है।

***श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (मंत्री)**—(१) यह बात सही है कि बिहार के चीनी मिलों की हालत इधर बिगड़ गई हैं। १९३६-३७ में बिहार में कुल ३२ चीनी मिलें थीं किन्तु अभी उनकी संख्या केवल २८ हैं। पुरानी मिलों में ४ मिलें बन्द हो चुकी हैं और ५—७ वर्ष पहले एक नई चीनी मिल कायम हुई है जो पूर्णिया के बनमंखी में है। यह बात सही है कि इस अवधि में देश के दूसरे राज्य में चीनी मिलों की संख्या तथा चीनी के कुल उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है और उस क्रम में बिहार का स्थान चीनी उत्पादन के दृष्टिकोण से नीचे आ गयी है।

(२) राज्य की चीनी मिलों की उत्तरोतर गिरती हुई हालत के निम्न लिखित मुख्य कारण हैं :

(१) राज्य की किसी भी मिल को क्षमता के अनुसार गन्ने की आपूर्ति नहीं मिल रही है। इसका कारण यह है कि राज्य में ईख के क्षेत्र तथा गन्ना उत्पादन

दन की कुल मात्रा में क्रमशः कमी होती गई है। उदाहरणार्थ जहां १९६१-१९६२ में राज्य में गन्ना का कुल क्षेत्र १-९० लाख हेक्टयर था और गन्ना उत्पादन की मात्रा ६३-३० लाख टन थी वहाँ १९७१-७२ में यह घटकर क्रमशः १-४१ लाख हेक्टयर तथा ४४-६५ लाख टन रह गया। चालू वित्तीय वर्ष १९७५-७६ में राज्य में गन्ने का कुल अनुमानित क्षेत्रफल १-४१ लाख हैक्टयर तथा कुल अनुमानित उत्पादन की मात्रा लगभग ४० लाख टन है।

गन्ने के उत्पादन में कमी का कारण यह है कि अब ईख के बदले किसान अपने खेतों में गेहूं, धान तथा दूसरे प्रकार का अनाज उपजाने लगे हैं क्योंकि वे फ़सलें ३-४ महीने में ही तैयार हो जाती है और उनको उपजाकर किसानों को शीघ्र ही पैसा भी मिल जाता है। ईख की फसल लगभग १२ महीनों तक खेत में खड़ी रहती है और चीनी मिलों को देने पर इसके पैसे भी समय पर किसानों को प्रायः नहीं मिल पाते हैं। इससे किसान ईख की खेती से प्रायः विमुख होते जा रहे हैं। चूंकि किसान अधिक ध्यान गेहूं, धान आदि अन्य अनाजों को पैदा करने पर दे रहे हैं इसलिये वे ईख की खेती में उन्नत किस्म की बीज, खाद, कीट नाशक दवाईयाँ, आदि का भी उचित प्रबन्ध नहीं करते हैं और न ईख की उचित किस्में ही लगाते हैं। इसलिये प्रति एकड़ उपज की दर में भी कमी होती जा रही है। इसके अलावे मिलों द्वारा मूल्य का भुगतान समय पर नहीं करने से किसान अपने ईख को चीनी मिलों को देने के बदले या तो स्वयं पेरकर गुड़ बनाने लगे हैं या राब या खांडसारी बनाने वाली ईकाईयों को देने लगे हैं। दूसरी ओर क्षमता के अनुसार पेराई के लिये ईख नहीं मिलने के कारण मिल-मालिक किसानों को ईख के मूल्य का भुगतान समय पर नहीं कर पाते हैं।

(२) जैसा कि ऊपर कहा गया है, पिछले ४० वर्षों में राज्य में केवल एक ही नई चीनी मिल कायम हुई है जो बनमन्खी की सहकारिता चीनी मिल है। शेष सभी मिलें पहले की है और सबकी मैशनरी पुरानी है। इसके चलते पेराई काल में अक्सर टूट-फूट (ब्रेक डाऊन) होते रहते हैं जिसके चलते समय-समय पर पेरायी बन्द हो जाती है।

(३) किसान अक्सर उचित किस्म की ईख लगाने पर खयाल नहीं करते हैं, अपितु सुगमता से प्राप्त किसी भी ईख की बीज को अपने खेतों में लगा देते हैं। इसके चलते मिलों में उचित किस्म और परिपक्वता की ईख नहीं मिलने तथा पुराने मशीनों में बार-बार खराबी के कारण मिलों की रिकभरी दर भी घट जाती है।

(४) बहुत सी मिलों में प्रबन्ध-व्यवस्था की अदक्षता है। फिजूलखर्ची के चलते भी मिलों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है जिसके चलते मिलें रुग्न हो गई है। ६ ऐसी मिलों, अर्थात गुरारू, बिहटा, वारसलीगंज, रैयाम, समस्तीपुर और गोरौल जो वन्द हो गई थी, को सरकार को स्थानीय कृषकों तथा मजदूरों के हित की रक्षा की दृष्टि से अपने प्रबन्ध में लेना पड़ा। ये मिलें अभी सरकार के प्रवन्ध में चल रही है। इसके अलावे इस साल तीन और चीनी मिलें भी बन्द होने की स्थिति में आ गई है जिनमें पंचरूखी मिल तो बन्द हो गई हैं और सकरी मिल को एक वर्ष के लिये उसके प्रबन्धकों ने बन्द कर दिया है। लोहट मिल को सरकार की गारंटी पर बैंक से ऋण लेकर चलाने का प्रयास किया जा रहा है और उसके प्रबन्ध एवं अर्थ व्यवस्था पर सुदृढ़ नियंत्रण रखने के उद्देश्य से सरकार ने दरभंगा सूगर कम्पनी के निदेशक मंडल के अनुरोध पर प्रबन्ध निदेशक के रूप में काम करने के लिये अपर जिला दंडाधिकारी के स्तर के एक सरकारी पदाधिकारी की सेवाएं भी सौंप दी है। इन तीनों मिलों की दुर्व्यवस्था के कारण भी सामान्यतः वे ही हैं जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है। उपर्युक्त कारणों से मिलों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है और इसके चलते कई मिलों के जिम्में किसानों की ईख का मूल्य तथा सरकारी टैक्स का बहुत बकाया पड़ गयी है। इसी कारण से कई मिलें जो रुग्न हो गई है. अपने कर्मचारियों को वेज बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर स्वीकृत वेतन मान दे नहीं पाई है।

राज्य में चीनी उद्योग की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने निम्नलिखीत कदम उठाया है:—

(क) चीनी मिलों के क्षेत्रों में ईखोत्पादन के कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके लिये एक पंचवर्षीय कार्यक्रम अपनाया गया है जिसमें राज्य में ईख के वार्षिक उत्पादन की मात्रा ५ वर्षों में ७० लाख टन कर देने का लक्ष्य है। इस हेतु ईख विकास संगठन को, जो अव तक कृषि विभाग के अधीन काम कर रहा था, हस्तान्तरित कर अब ईख विभाग के अधीन कर दिया गया है। ईख उत्पादकों को सहकारिता ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने तथा इससे संबंधित सहयोग समितियों को ठीक से कारगर बनाने के हेतु, ईख विकास से संबंधित सहारिता समितियों को भी ईख विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन लेने का निर्णय हो चुका है और उसे यथाशीघ्र कार्यान्वित करने की चेष्टा की जा रही है। ईख विकास के लिये आवश्यक निधि उपलब्ध करने हेतु, राज्य के प्लेन योजनाओं

एवं केन्द्र के परिवर्त्तित योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में ३३ लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

(ख) राज्य सरकार के प्रवन्ध में चलने वाली चीनी मिलों को, उचित संचालन, मार्गदर्शन एवं उनके लिये आवश्यक आर्थिक एवं तकनीकि नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य में एक चीनी निगम की स्थापना की गई है। निगम का पंजीकरण किया जा चुका है और इसके लिये शीघ्र ही एक पूर्णकालीन प्रवन्ध निदेशक की नियुक्ति हो जाने की आशा है। उसके बाद सरकार के प्रवंध में चलने वाली सभी चीनी मिलों का प्रबन्ध और नियंत्रण इस निगम को हस्तान्तरित कर दिया जायगा।

(ग) चीनी मिलों के क्षेत्रों में अधिकांशत: यातायात की स्थिति वहुत खराब है, इसलिये इन क्षेत्रों में सड़कों की हालत सुधारने तथा यातायात संबंधी आवश्यक योजनाओं को सुनियोजित से कार्यान्वित करने के उद्देश्य से चीनी क्षेत्रों के लिये सड़क-निर्माण-कार्यक्रम को शीघ्र ही पुर्नगठित करने का प्रस्ताव है। यह कार्यक्रम ईख विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यान्वित कराया जायगा जिसके लिये केन सेस के रूप में प्रति वर्ष मिलने वाली राशि का निश्चित प्रतिशत इसके अधीन कर दिया जायगा। इसके अलावे मिलों से ईख क्रय के रूप में सरकार को प्रति क्वींटल एक रुपया का जो कर मिला है उसमें से भी ४६ प्रतिशत या लगभग आधी रकम एक विशेष निधि सृजित कर उसी में डालने का प्रस्ताव है। इस राशि का एक निश्चित अंश ईख क्षेत्रों में सड़क-निर्माण-योजनाओं पर खर्च किया जायगा और शेष अंश सरकारी प्रवन्ध में चलने वाली मिलों की मशीनरी के आधुनिकीकरण पर लगाया जायगा।

हमें विश्वास है कि सरकार द्वारा उठाये गये उपर्युक्त कदमों का फल २-३ वर्षों में लक्षित होने लगेगा, तथा चीनी उद्योग पुनः सुव्यवस्थित होकर राष्ट्रीय उत्पादन की दिशा में अपना समुचित योगदान देने लगेगा।

अध्यक्ष—इससे पहले कि आप पूछे, एक वात का मैं चाहूंगा आरम्भ में ही स्पष्टीकरण। जहां तक मुझे स्मरण है कि १९६३-६४ में वी० राव कमिटी बनी थी। समस्त देश के लिये, और बिहार के लिए भी, उसने सिफारिशें की थी। कोई २४ करोड़ के लगभग बिहार में उसमें खर्च बताया गया था कि कैसे आधुनिकीकरण किया जाय। तो आपने या आपके विभाग ने इसका कुछ अध्ययन किया और उसपर कुछ अमल आजतक नहीं किया, तो अब करना चाहते हैं ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय अभी तुरन्त इस संबंध में कुछ कहने में असमर्थ हूं।

श्री चतुरानन मिश्र—अध्यक्ष महोदय, सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि किस तरह हालत खराब है इस उद्योग की। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जिस तरह महाराष्ट्र में कौटन का उचित दाम मिल सके, किसानों को समय पर, इसके लिए कौटन कारपोरेशन कायम की गयी, जिसको मोनोपोली परचेज का अधिकार दिया गया और वही सब रूई खरीदती है, इन्होंने भी तो कारपोरेशन कायम किया है, इसलिए हम चाहते हैं इसको भी सूगर केन परचेज करने की मोनोपोली दे दी जाय और इसी से मिल खरीदें ताकि बकाया लेन-देन के काम में सरकार को जो पंचायती करनी पड़ती है वह काम कारपोरेशन और कम्पनी के बीच में रहे, और किसानों को समय पर पैसा मिल जाय, क्या सरकार हमारे इस सुझाव पर विचार करेगी ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—हम इसकी प्रैक्टिक्लिटी पर विचार करेंगे।

श्री चतुरानन मिश्र—आपने जान-बूझकर आंकड़ा नहीं दिया है। किसानों का अभी २ करोड़ २१ लाख रुपया बाकी है और हर साल ३, ४, ५ करोड़ रुपया बाकी रहता है। यह देखा जाता है कि पेमेंट बहुत देर से होता है। क्या सरकार हमारे इस सुझाव को मानेगी कि एक सप्ताह से ज्यादा किसी भी किसान का रुपया बाकी रहे तो बैंक रेट से किसानों को सूद मिला करे।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—हर साल किसानों का रुपया बाकी रहा करता है। लेकिन नियमतः हर मिल को ईख प्राप्ति के १४ दिनों के अन्दर पेमेंट कर देना चाहिए। जो मिल नहीं करते हैं, उनके लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि इसको हर हालत में इम्पलीमेंट करायेगी और जो १४ दिनों के अन्दर पेमेंट नहीं करेंगे हम उससे सूद चार्ज करेंगे।

अध्यक्ष—अगर वे अपोज करेंगे तो ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—तब हम दूसरी रास्ता अख्तियार करेंगे।

श्री चतुरानन मिश्र—ये बैंक से कर्ज दिला देंगे ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—इस वर्ष एक मिल छोड़कर किसी को नहीं दिलाया है। सरकार इसको डिस्करेज करती है।

श्री चतुरानन मिश्र—मैं जानना चाहता हूं कि जैसा कि मंत्री महोदय, ने

कहा कि हम सूद चार्ज करेंगे, तो कब से ? १४ दिन आपने कहा और हमने एक सप्ताह कहा। १४दिन से ज्यादा जो भी बकाया रहेगा, उसकी चुकती सरकारकरावे। सूद सहित। हम, अध्यक्ष, महोदय, कह रहे हैं कि यह किसान का जितना रुपया रख लेते हैं, अगर बैंक से सूद पर लें तो हमारा कलकुलेशन है कि वह डेढ़ करोड़ रुपया हो जायेगा। इस प्रकार इतना रुपया सूगर मिल को सूद का बच जाता है। सरकार ने कहा है कि नियमत: १४ दिन के बाद जो मिल पेमेंट करेगा, उससे सरकार पब्लिक डिमांड रिकोभरी ऐक्ट के अन्दर सूद दिलायेगी।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—१४ दिनों के बाद डिले करने पर ओर्डिनेन्स के मुताबिक साढ़े ७ परसेन्ट सूद पेमेंट करना होगा।

श्री चतुरानन मिश्र—सरकार ने कहा है कि मशिनरी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए हमारे मिल अधिक दिनों तक नहीं चलते हैं।

अध्यक्ष—ऐसी मशीनें भी हैं, जो ९०-९५ वर्ष पहले की है।

श्री चतुरानन मिश्र—अध्यक्ष महोदय, इसके चलते राष्ट्र की क्षति हो रही है और जहाँ अन्य राज्यों में, या अपने राज्य में जो १—२ अच्छी मिलें हैं १० प्रतिशत, ९.८४ परसेन्ट तक रिकोभरी होती है, बाकी सभी जिलों में हमारे राज्य में ७ से साढ़े ७ परसेन्ट तक ही रिकोभरी हो रही है। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि जो डिप्रिसेशन फंड होता है, उसके लिए बैंक से कर्ज लेकर उसका दुरूपयोग कर रहे हैं, इसकी जाँच आप करा रहे हैं या नहीं, अगर नहीं करा रहे हैं तो शीघ्र आप इसकी जाँच करावें।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—हम तुरत इसकी जाँच करायेंगे।

श्री चतुरानन मिश्र—हम जानना चाहेंगे कि अपने राज्य में इम्प्रुभड भैराईटी केन की खेती नहीं होती है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रोपरली नहीं होता है, सरकार इसकी कोई देख-भाल नहीं करती है, हमारे यहाँ कोई रिसर्च सेन्टर भी नहीं हैं केवल पूसा को छोड़कर, इसको देखते हुए जहां दक्षिण भारत में ता.मलनाडु और महाराष्ट्र आदि राज्यों में मिल १८० दिन चलते हैं हमारे यहां, जैसा कि अध्यक्ष महोदय, आपने वी० राव कमिटी की चर्चा की, उसमें कहा गया है किसी भी मिल को इकोनीमिकल लेवल पर चलाने के लिए १३० दिन मीनमम चलना चाहिए जबकि हमारे यहा एक-दो मिल को छोड़ कर वह भी बनमंखी, हरिनगर १९७४-७५ में केवल १३१ दिन तक चली, बाकी २८ मिलें

१७, २२, ३५, ५० और ७५ दिन तक ही चली, इसको देखते हुए क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि जितने भी सूगर केन फार्म की जमीन है उसको सरकार अपने अधिकार में कर ले और वहाँ लेट भैराईटी केन की खेती करे ताकि ज्यादा दिनों तक मिलों को ईख सप्लाई हो सके।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—माननीय सदस्य के इस प्रश्न से सरकार को कुछ ताकत मिलती है। जितने भी मिलें हैं और उनके बड़े-बड़े फार्म है, वे सिलिंग में लिये जा रहे हैं, १०० एकड़ तक रखने का उनको अधिकार है, उसके अलावा जो जमीन होगी उसको सरकार ले लेगी और उसमें अपने हाथ से अच्छे सीड पैदा करने का काम करेगी।

श्री चतुरानन मिश्र—अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने ध्यानाकर्षण में चर्चा की थी मजदूरों का जो बकाया है, चाहे वह मजदूरी का हो, ग्रेच्यूटी का हो या प्रोविडेन्ट फंड का हो या और कुछ का हो, हमारा अन्दाजा है कि यह रकम ४—५ करोड़ रुपया से ज्यादा होगी। जो मिलें बन्द हैं खासकर सकरी और पंचरूखी इनमें जो भी चीनी उपलब्ध है उसको बेच कर, प्राथमिकता देकर मजदूरों का बकाया चुकता करेगी?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—इसकी बिक्री तो तुरत कर देने का प्रयास करेंगे और सरकार का यह भी प्रयास होगी कि उनकी पेमेंट भी यथाशीघ्र हो जाय।

श्री चतुरानन मिश्र—मजदूर सबसे शोषित हैं, वे बेचारे कहाँ जायेंगे, इसलिए आप प्राथमिकता देकर उनको मजदूरी दिलावें और दूसरी प्राथमिकता किसानों को दें।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—हम दोनों को प्राथमिकता देंगे।

अध्यक्ष महोदय, एक बात हम स्वयं कहना चाहते हैं। पूसा रिसर्च सेन्टर की बात जो उठायी गयी है, उसके काम से सरकार भी स्वयं असंतुष्ट है और इसी लिए हमने ईख बोर्ड की मीटिंग बुलाई थी।

अध्यक्ष—और अभी तक ईख उद्योग के संबंध में जो सरकारी नीति रही है, उससे आप संतुष्ट हैं?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—हम जो कहना चाहते हैं उसी से यह स्पष्ट हो जायेगा। हम अपने राज्य में यू० पी० की तरह ३—४ रिसर्च सेन्टर खोलेंगे हम स्वयं अपना रिसर्च सेन्टर खोलेंगे।

श्री प्रभु नारायण राय—मैं सरकार से जानना चाहता हूं जो ऋण सरकार मिलों को देती रही है या जो गारंटी आपने दी है, उस ऋण का ठीक उसी काम में उपयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसकी जांच करवाने का विचार सरकार रखती है ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—इसमें अलग से जांच करने की बात नहीं उठती है।

अध्यक्ष—आप जांच करा दें।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—करा दूंगा।

श्री प्रभु नारायण राय—मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि पंचरूखी मिल को खोलवाने का सरकार, कब तक विचार रखती है ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—बिना बैंक की गारन्टी के खोलने के लिये तैयार नहीं हैं, यही कहकर वे हर वर्ष समय ले लेते हैं। लेकिन हम इसको इनक्रेज करने को तैयार नहीं हैं।

श्री आजम—अध्यक्ष महोदय, आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि यह सरकार कैसे देश के पैसे का दुरुपयोग कर रही है। क्या सरकार को मालूम है कि कोयमवमटोर रिसर्च सेन्टर में केतारी के फूल और बीज से एक और पौधा तैयार होता है, क्या पूसा में भी आप यह करने को तैयार हैं ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—मैंने आपके प्रश्न को नहीं समझा, फिर से पूछें।

श्री आजम—अध्यक्ष महोदय, कोयमवटोर रिसर्च सेन्टर में वहां की सरकार केतारी के जो छोटे-छोटे फूल और बीज होते हैं उनमें नर और मादा रहता है उस बीज पर उस केन्द्र में रिसर्च किया जाता है और उससे केतारी पैदा की जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि पूसा रिसर्च सेन्टर में इस तरह का रिसर्च किया जाता है या नहीं ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य रिसर्च कर के आये हैं (हंसी)।

श्री शकूर अहमद—अध्यक्ष महोदय, हमलोगों को इनफोरमेशन है कि बहुत सी मिलें जब बंद होने लगती है और जब वे कर्ज मांगती है, तो कर्ज देने में देर

हो जाती हैं। इस बीच सीक मिल वाले बहुत से कौस्टली सामानों को बेच डालते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये सीक मिल वाले वहां के सामानों को वेंचे इसके लिये सरकार इन्तजाम करना चाहती है ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—सरकार प्रयास करेगी।

श्री राम लखन सिंह यादव—बिहार में ७ सीक मिल्स हैं, उनके प्रबन्ध समितियों के साथ बैठ कर उन मिलों की जो दुर्व्यवस्था है और वहां के ओफिस किस तरह से काम कर रहें है, इन सारी चीजों को देखने के लिये क्या सरकार सोचती है ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—माननीय सदस्य की राय बहुत अच्छी है, हम इसको तुरंत करेंगे।

श्री चन्द्र शेखर सिंह (साम्यवादी)—अध्यक्ष महोदय, मंत्री ने अपने जवाब में कहा कि १४ दिन के अन्दर मिल वाले पेमेंट नहीं करेंगे तो सूद के साथ पेमेंट किया जायगा। तो क्या सरकार विचार करेगी कि जो रेट बैंक सूद के रूप में देती है वही रेट उन किसानों को भी दिया जायगा, न कि साढ़े सात परसेन्ट दिया जायगा ?

अध्यक्ष—इसके पहले सरकार को यह देखना चाहिये कि समय पर पेमेंट होता है या नहीं

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह-अभी जो मिलें चल रही है वे पेमेंट करते जा रहे हैं। जहां तक सूद की बात है, औडिनेन्स में ऐक्चुअली साढ़े सात परसेन्ट का प्रोविजन है। माननीय सदस्य की जो मंशा है, वह ठीक है। इस पर सरकार विचार करेगी।

श्री अब्दुल जलील—पंचरुखी सुगर मिल में केन ग्रोअर्स के यहां कितना बकाया है, यह जानना चाहता हूं।

श्री रामाश्रय प्र० सिंह—११ लाख २५ हजार रुपया बाकी है।

श्री अब्दुल जलील—सरकार मजदूर और किसान का कब पेमेंट कराना चाहती है ?

श्री रामाश्रय प्र० सिंह—पेमेंट कराने के प्रयास में सरकार है।

श्री अब्दुल जलील—मिल सरकार खोलवाना चाहती है ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—यही तो चल रहा है कि पहले पेमेंट कीजिये, तब मिल चलाइये।

श्री अब्दुल जलील—अध्यक्ष महोदय, वहाँ पर मिल में चीनी और स्प्रीट जप्त करके रखा हुआ है जिसे बैंक वाले ले लेना चाहते हैं, तो मैं सरकार से स्पष्ट जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसकी गैरेन्टी लेगी कि पहले मजदूरों को बकाया पेमेंट किया जाय ? (जवाब नहीं मिला)

श्री जनार्दन तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न को साफ कर देता हूं क्योंकि यह मेरे भी निर्वाचन क्षेत्र की बात है। बात ऐसी है कि मिल बंद हो गयी है। कम-से-कम १० लाख रुपये की चीनी मिल में पड़ी हुई है। इसलिये मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार चीनी को जब्त कर और बेचकर किसान को पेमेन्ट करना चाहती है ?

श्री रामाश्रय प्र० सिंह—अध्यक्ष महोदय, बार-बार यह प्रश्न आ रहा है। इसके बारे में मैं साफ कर देना चाहता हूं कि जो चीनी मिल में पड़ी हुई है वह बैंक का प्लैज्ड है। इसलिये ७५ परसेन्ट बैंक को दिया जायगा और बाकी २५ परसेन्ट जो बचेगा वह किसान और मजदूर को दिया जायगा।

श्री जनार्दन तिवारी—मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि यह वेलफेयर सरकार है तो क्या इसी वर्ष से मिल को लेकर चलाना चाहती है ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह— इस वर्ष सम्भव नहीं है।

श्री जनार्दन तिवारी—आगे साल से।

श्री रामाश्रय प्रसाद—आगे साल से कोशिश की जायगी।

(इस अवसर पर उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

श्री शत्रुघ्न शरण सिंह—क्या यह बात सही है कि जितने मिल ओनर्स पुराने हैं उनकी प्रवृति हो गयी है कि किसान, मजदूर और बैंक का बकाया, यहां तक कि सरकार का एक्साइज का पैसा भी रख लेते हैं और अन्त में ऐसी परिस्थिति कर देते हैं कि सरकार को मिल लेना पड़ता है ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—ठीक। यह प्रवृति देखने में आ रही है। इसके लिये कारवाई करने के लिये हम तैयार हैं।

श्री शत्रुघ्न शरण सिंह—अगले पंचवर्षीय योजना में क्या सरकार विस्तृत रूप से इस संबन्ध में कानून बनाना चाहती है ताकि फाइनेनसियल असिसटेंस देकर बिहार में सुगर इन्डस्ट्रीज की रक्षा हो सके।

श्री रामाश्रय प्र० सिंह—यह अलग से प्रश्न नहीं उठता है।